अध्याय VI: आयुध फैक्ट्री संगठन

6.1 आयुध फैक्ट्री संगठन का सामान्य कार्य निष्पादन

6.1.1 प्रस्तावना

आयुध फैक्ट्री बोर्ड (ओ.एफ.बी.) रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत महानिदेशक, आयुध फैक्ट्रियों के अधीन कार्य करता है। कुल 39 फैक्ट्रियों को पाँच उत्पाद आधारित प्रचालन समूहों[28] में विभक्त किया गया है जो निम्नवत हैं:

क्रम संख्या	समूह का नाम	फैक्ट्रियों की संख्या
(i)	गोला बारूद एवं विस्फोटक	**10**
(ii)	शस्त्र, वाहन तथा टैंक	**10**
(iii)	सामग्री एवं संघटक	**8**
(iv)	शस्त्र सज्जित वाहन	**6**
(v)	**आयुध टैंक (वस्त्र एवं सामान्य भण्डार)**	**5**

दो और फैक्ट्रियाँ यथा, आयुध फैक्ट्री नालंदा एवं आयुध फैक्ट्री कोरवा अभी परियोजना स्तर पर है जिसमें क्रमशः ₹812.82[29] करोड़. और ₹ 120.36 करोड़ मूल संस्वीकृत लागत ₹941.14 करोड़ (बाद में फरवरी 2009 में ₹ 2160.51 करोड़ संशोधित हो गई) और ₹408.01 करोड़ के प्रति मार्च 2012 तक व्यय किया गया था। आयुध फैक्ट्री नालंदा दो लाख बाई मॉडयूलर मास चार्ज सिस्टम प्रतिवर्ष तथा आयुध फैक्ट्री कोरवा 45000 कारबाइन प्रतिवर्ष निर्माण के लिए क्रमशः नवम्बर 2005 (संशोधित अगस्त 2011) तथा अक्तूबर 2010 (संशोधित मई 2012) तक पूर्ण होना अनुसूचित किया था परन्तु अभी तक इनका लगातार उत्पादन शुरू होना बाकी था (अक्तूबर 2013)।

6.1.2 मूल कार्यकलाप

आयुध फैक्ट्रियों का प्रमुख कार्य भारतीय सशस्त्र सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। आयुध फैक्ट्रियों का मूल कार्यकलाप, प्रतिवर्ष आयोजित लक्ष्य निर्धारण बैठक के दौरान भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा प्रदर्शित आवश्यकताओं के आधार पर शस्त्र, गोला बारूद, शस्त्रसज्जित वाहन आयुध भण्डार आदि का निर्माण एवं आपूर्ति करना है। इन आवश्यकताओं की बाद मे मांगपत्र के रूप में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के द्वारा पुष्टि की जाती है।

तथापि अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करके आयुध फैक्ट्रियाँ गृह मंत्रालय के अर्द्धसैनिक बल, राज्य पुलिस, अन्य सरकारी विभागों व निर्यात सहित असैनिक माँगकर्ताओं के लिए भी गोलाबारूद व शस्त्र की आपूर्ति करती है।

---

[28] कार्य के आधार पर फैक्ट्रियों को धातु क्रय (5 फैक्ट्री) अभियांत्रिक (13 फैक्ट्री) शस्त्र सज्जित वाहन (6 फैक्ट्री) फिलिंग (5 फैक्ट्री) रासायनिक (4 फैक्ट्री) उपस्कर एवं वस्त्र (6 फैक्ट्री)

[29] बी.एम.सी.एस. के लिए बैंक गारन्टी के अग्रिम भुगतान का सन्दर्भित किया गया। 2011-12 में कुल व्यय ₹812.82 करोड़ की कमी की गई।

वर्ष 2011-12 के दौरान, आयुध फैक्ट्रियों ने 2010-11 के दौरान 938 मदों के प्रति 903 प्रधान मदों का निर्माण किया। उपरोक्त मदों में टैंक विरोधी गन, एयरक्राप्ट विरोधी गन, फील्ड गन, मोर्टर, लधु शस्त्र, उनके गोलाबारूद सहित खेल हथियार, बम, राकेट, प्रोजेक्टाइल, ग्रेनेड, माइन, डिमोलिशन चार्जेज, डेप्थ चार्ज, पाइरोटेक्निक स्टोर्स, परिवहन वाहन, ऑप्टिकल एवं अग्नि नियन्त्रण उपकरण, ब्रिज, एसाल्ट बोट, कपड़े एवं चमड़े की मदें, पैराशूट आदि शामिल है। 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए यह उत्पाद श्रृखंला सभी आयुध फैक्ट्रियों के उत्पादन के सकल मूल्य ₹ 15933.44 करोड़ का 87 प्रतिशत भाग बनता है।

6.1.3 श्रम शक्ति

आयुध फैक्ट्री संगठन के कार्मिकों को निम्नवत वर्गीकृत किया गया हैः (i) वरिष्ठ पर्यवेक्षण स्तर के अधिकारी (ii) कनिष्ठ पर्यवेक्षक स्तर पर एवं लिपिकीय स्थापना में पदस्थ "अराजपत्रित" (एन.जी.ओ.) अथवा गैर-औद्योगिक (एन.आई.ई.) कर्मचारी (iii) औद्योगिक कर्मचारी (आई.ई.) जो उत्पादन एवं रखरखाव के कार्य में संलग्न होते है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या को निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया हैः-

कर्मचारियों का वर्ग	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजपत्रित अधिकारी	4036	3947	3481	8306	7917
कुल श्रमशक्ति पर राजपत्रित अधिकारियों की प्रतिशतता	3.77	3.84	3.50	8.40	8.20
एन.जी.ओ/एन.आई इस.	32359	31105	30482	25302	25058
कुल श्रमशक्ति पर एन.जी.ओ./ एन.आई.ईस. की प्रतिशतता	30.22	30.27	30.67	25.58	25.95
औद्योगिक कर्मचारी (आई ईस)	70666	67717	65411	65306	63572
कुल श्रमशक्ति पर औद्योगिक कर्मचारियों की प्रतिशतता	66.01	65.89	65.82	66.02	65.85
योग	**107061**	**102769**	**99374**	**98914**	**96547**

पूर्ववर्ती सारणी से यह स्पष्ट होता है कि आयुध फैक्ट्री संगठन की श्रमशक्ति में निरन्तर कमी आई है। वर्ष 2007-08 की तुलना में वर्ष 2011-12 में श्रमशक्ति में करीब 10 प्रतिशत की कमी थी। वर्ष 2011-12 में वर्ग क एवं ख के राजपत्रित अधिकारियों की संख्या वर्ष 2007-08 में 4036 से 96.16 प्रतिशत बढकर 7917हो गई। 2007-08 की तुलना में 2011-12 में अराजपत्रित अधिकारियों/गैर औधोगिक कर्मचारियो की संख्या क्रमशः 22.56 प्रतिशत एवं 10.04 प्रतिशत कम हुई।

तथ्यों को स्वीकारते हुए आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने (अक्तूबर 2013) में बताया कि राजपत्रित अधिकारियों की संख्या में तेजी से वृद्वि फरवरी 2011 में सहायक फोरमेन/फोरमेन/स्टोर होल्डर वर्ग ख के सभी अराजपत्रित पदों को जूनियर वकर्स मेनेजर/तकनीकी व गैर तकनीकी (वर्ग ख राजपत्रित अधिकारियों के पद) के साथ विलय करने के कारण हुई थी।

6.1. 4 ओ.एफ.बी के कार्यनिष्पादन का विश्लेषण

6.1.4.1 राजस्व व्यय

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान राजस्व व्यय[30] का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आयुध फैक्ट्रियों द्वारा किया गया कुल व्यय	सशस्त्र सेनाओं को उत्पाद आपूर्ति से प्राप्तियाँ	अन्य प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ[31]	कुल प्राप्तियाँ	आयुध फैक्ट्रियों की शुद्ध अधिशेष (5-2)
1	2	3	4	5	6
2007-08	7125.63	5850.65	1464.12	7314.77	**189.14**
2008-09	9081.28	6123.38	1474.54	7597.92	(-) **1483.36**
2009-10	10812.10	7531.08	1545.01	9076.09	(-) **1736.01**
2010-11	10903.21	9824.99	1665.78	11490.77	**587.56**
2011-12	**12140.91**	**10702.79**	**2172.99**	**12875.78**	**734.87**

वर्ष 2011-12 के लिए व्यय 2010-11 की तुलना में 11.35 प्रतिशत बढ़ा। इसी प्रकार सशस्त्र बल, अन्य मांगकर्ता और विविध की निर्गम आपूर्ति के प्रति कुल प्राप्तियों के हालांकि वर्ष 2010-11 में ₹ 11490.77 करोड़ से वर्ष 2011-12 में ₹ 12875.78 करोड़ की वृद्धि हुई जो 12.05 प्रतिशत है।

हमने देखा कि मुख्य नियंत्रक रक्षा लेखा (सी.जी.डी.ए.) द्वारा अक्तूबर 2007 में तथा बाद में मार्च 2011 में प्रधान लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीयॉ) कोलकता द्वारा जारी अनुदेशों के उल्लंघन में, 6 आयुध फैक्ट्रियों के लेखा अधिकारियों ने फरवरी-मार्च 2012 माह के दौरान फैक्ट्रियों द्वारा प्रस्तुत अग्रिम निर्गम वाउचरों को स्वीकार किया और उन्होनें सैन्य बलों/ अन्य स्थापनाओं को समान निर्गम के एवज में ₹ 1581.12 करोड़ डैबिट किये जबकि ये मदे प्रत्यक्ष रूप से 2011-12 के दौरान उन्हें निर्गमित नही हुई थीं। (ब्यौरे के लिए **परिशिष्ट-II** देखें)। इस मुददे पर लेखापरीक्षा द्वारा बार बार की गई आपत्तियों को नजरन्दाज किया गया विभिन्न माँगकर्ताओं के निर्गम के लेखांकन में लगातार कमी के कारण कुल प्राप्तियाँ ₹1581.12 करोड़ से बढ़ गई थी जो ओ.एफ.बी. को वर्ष 2011-12 में अधिशेष दर्शाने में योग्य बनाया।

आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने 31 मार्च 2012 तक कुछ व्यवहारिक कठिनाईयों एवं उत्पादन में किया व्यय को लेखांकन न करने से और माँग कर्ता को आपूर्ति करने से शुद्व बजट पर प्रभाव पडने के कारण मदों में वास्तविक निर्गमता से अपनी असमर्थता बताई (अक्तूबर 2013)। प्रधान लेखा नियंत्रक (निर्माणियाँ) कोलकता (पी.सी.ए.) ने कहा कि उनके शाखा लेखा कार्यालयो द्वारा निर्गम मूल्यों की बुकिग प्रलेखी प्रमाणिता के आधार पर की थी।

ओ.एफ.बी. एवं पी.सी.ए. का उत्तर स्वीकार्य नही है क्योकि अग्रिम निर्गम वाउचरों की स्वीकृति भण्डारो व्यवहारिक निर्गम के बिना स्वीकृत लेखांकन सिद्वांतो के प्रतिकूल है इसके अतिरिक्त

[30] स्त्रोत -विनियोजन लेखे

[31] अन्य प्राप्तियाँ एवं वसूलियों में आर.आर. कोष के स्थानान्तरण के कारण प्राप्तियाँ, अधिक/अप्रचलित भण्डार के विक्रय, पुलिस सहित एम.एच.ए. को निर्गम, केन्द्र तथा राज्य सरकारें, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सिविल व्यापार, निर्यात एंव विविध प्राप्तियां सम्मिलित हैं।

शाखा लेखा कार्यालयो द्वारा माँग कर्ताओ की उत्पादों की बिना व्यवहारिक निर्गम के निर्गम वाउचरों को तैयार करना सी.जी.डी.ए. के अक्तूबर 2007 के अनुदेशों का सकल उल्लंघन था उनका उत्तर हमारी पुनरावृत टिप्पणियों के बावजूद इस अभावपूर्ण लेखांकन से बचने के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई के बारे में कुछ नही कहता।

6.1.4.2 राजस्व व्यय का रूझान(प्रवृत्ति)

वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान राजस्व व्यय का रूझान नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	व्यय का राजस्व शीर्ष	व्यय		वृद्धि(+)/कमी (-)	
		2010-11	2011-12	योग	प्रतिशत
1.	निर्देशन एवं प्रशासन	74.36	79.68	(+) 5.32	**(+) 7.15**
2.	अनुसंधान	39.95	35.71	(-) 4.24	**(-) 10.61**
3.	रखरखाव	20.86	21.78	(+) 0.92	**(+) 4.41**
4.	विनिर्माण	3502.60	4416.14	(+) 913.54	**(+) 26.08**
5.	परिवहन	110.73	115.98	(+) 5.25	**(+) 4.74**
6.	सामान	5706.32	6101.69	(+) 395.37	**(+) 6.93**
7.	कार्य	57.81	75.93	(+) 18.12	**(+) 31.34**
8.	नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन	207.82	310.25	(+) 102.43	**(+) 49.29**
9.	नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन (आर.आर) निधि का अन्तरण	600.00	325.00	(-) 275.00	**(-) 45.83**
10	अन्य व्यय	582.76	658.75	(+) 75.99	**(+) 13.04**
	कुल योग	**10903.21**	**12140.91**	**(+) 1237.70**	**(+) 11.35**

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है

- 2011-12 के दौरान कुल राजस्व व्यय में ₹ 1237.70 करोड़ 2010-11 के तुलना में (11.35 प्रतिशत) वृद्धि हुई। तत्व वार व्यय के रूझान के विश्लेषण से मालूम हुआ कि 2010-11 की तुलना में 2011-12 में सामान, विनिर्माण और नवीनीकरण /प्रतिस्थापन व्यय पर क्रमशः 6.93 प्रतिशत, 26.08 प्रतिशत, एवं 49.29 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई जबकि "नवीनीकरण/प्रतिस्थापन निधि के अन्तरण" (45.83 प्रतिशत) एवं 'अनुसंधान" (10.61 प्रतिशत) शीर्ष के अन्तर्गत कमी आई।

- वर्ष के प्रारम्भ में बजट आकलन के आधार पर कुछ राशि मेजर शीर्ष 2079 के माइनर शीर्ष संख्या 797 (आर.आर निधि का अन्तरण) के अधीन "नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन निधि " के लिए चिन्हित करके रख ली थी। जब संयन्त्र एवं मशीनरी की अधिप्राप्ति की जाती है तो मेजर शीर्ष 2079 के माइनर शीर्ष 797 में क्रेडिट करके अर्थात नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन निधि से अन्तरण मुख्य शीर्ष 2079 के माइनर शीर्ष 106 में तत्सम्बन्धी डेबिट करके अर्थात नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन में प्रविष्टि कर दी जाती है। हमने पाया कि 01 अप्रैल 2011 को लोकनिधि लेखा के अधीन मूल्यह्रास आरक्षित निधि में ₹490.45 करोड का प्रारम्भिक शेष था आयुध निर्माणी बोर्ड को अन्तरण आर आर निधि बजट शीर्ष के अधीन ₹325 करोड का आबंटन

मिला और मशीनरी एवं संयत्र के खरीद हेतु 2011-12 के दौरान केवल ₹311.42 करोड़ का आहरण किया और सामान्य वित्तीय नियमावली के अधीन भारत की समेकित निधि में समार्पण करने की बजाय भारत के लोक लेखा निधि में शेष राशि ₹ 13.58 करोड़ रख लिये। फलस्वरूप मूल्यह्रास आरक्षित निधि में ₹504.03 करोड का अन्त शेष था। तथापि विनियोजन लेखे में आर.आर. निधि में अन्तरण के प्रति उक्त राशी खर्च दर्शाइ गई थी। फलस्वरूप विनियोजन लेखे में व्यय 31 मार्च 2012 तक संचित रूप से ₹ 504.03 करोड़ बढ़ा-चढ़ा कर बताये गये।

निधियो के अधिक अन्तरण को न्यायसंगत सिद्व करते हुए प्रधान लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रियाँ) (पी.सी.ए.) ने कहा (18 अक्तूबर 2012) की प्रभावित संयत्र एवं मशीनरी के प्रति स्थापन हेतु पुँजी लगाने के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामले विभाग) के आदेश (30 जनवरी 1991) के अनुसार लोक लेखा के अन्तर्गत सृजित नवीकरण एवं आरक्षित निधि के लिए भारतीय समेकित निधि के अधीन राजस्व शीर्ष से अन्तरणो के माध्यम से वित्तीय प्रबन्ध किया जाता है तथा व्ययगत न होने वाली, आवर्ती एवं ब्याज रहित निधि है। पी.सी.ए. ने (अक्तूबर-2013) मे यह भी कहा कि लोक लेखे में निधि संचित नही होती परन्तु ओ.एफ.बी. के आधुनिकरण के प्रयासो में उपयोग होता है। और अव्ययित आर.आर. राशी समार्पण का मामला नही होता। पी.सी.ए. का दावा स्वीकार्य नही है क्योकि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन पर अव्ययित निधि का समार्पण भारत की समेकित निधि में न होना जी.एफ.आर. के प्रावधानों का उल्लंघन था। इसके अतिरिक्त लोक निधि खाते में मूल्यह्रास आरक्षित निधि में राशी का दर्शाया शेष आवर्ती नही था परन्तु केवल इक्टठा करना जिसका तथ्य से प्रमाणित है कि अप्रैल 2010 में ₹98.39 करोड़ रूपये से लोक लेखे में मूल्यह्रास आरक्षित निधि 31 मार्च 2012 तक ₹504.03 करोड़ बढ़ गई। इसके अतरिक्त ओ.एफ.बी. ने (अक्तूबर 2013) में कहा कि संचित शेष को निवेश योजना पर आधारित 2014-15 के दौरान उपयोग करने की सम्भावना है। तथापि उत्तर 2014-15 के दौरान निवेश योजना का कोई ब्यौरा नही दर्शाता।

निर्देशों के अनुसार, आयुध फैक्ट्रियों द्वारा सशस्त्र बलों से निर्गमों की वास्तविक मूल्य की वसूली करने की जरूरत है। हमने देखा कि 20 मामलों मे जहां छः फैक्ट्रियों मे यानि आयुध फैक्ट्री खमरिया, आयुध फैक्ट्री चन्दा एवं आयुध फैक्ट्री बड़मल, आयुध फैक्ट्री त्रिचि, गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर एवं भारी वाहन फैक्ट्री अवाडी ने अनुमानित लागत से कम कीमतों की स्वीकृति के कारण ₹201.58 करोड़ कम वसूल किये हैं। 35 अन्य मामलों में, जो सशस्त्र बलों/ अन्य सरकारी संगठनों की आपूर्ति से सम्बन्धित है 12 आयुध फैक्ट्रियों[32] ने जारी मूल्य असामान्य रूप से अनुमानित लागत से कहीं अधिक निर्धारित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹1229.24 करोड़ असामान्य लाभ का अर्जन हुआ।

प्रधान लेखा नियंत्रक ने (अक्तूबर 2012) में लेखापरीक्षा आपत्ति पर सहमत होते हुए माना कि असामन्य कीमत निर्धारण के मुद्दे को कार्यकारणी में वार्षिक लेखो की पुनरीक्षा के दौरान उठाया गया। आयुध फैक्ट्री बोर्ड द्वारा कीमत निर्धारण नीति ठीक से न अपनाने से ₹1581.12 करोड़ के निर्गमों की अधिक बुकिंग, और सकल ₹1027.66 करोड़ असामान्य लाभ अर्जित पर विचार करने के पश्चात वर्ष 2011-12 में विभिन्न शीर्षों में कुल वसूलियां ₹10267.00 करोड़ थी जबकि ओ.एफ.बी. ने वर्ष 2011-12 के विनियोजन लेखे में ₹12875.78 करोड़ दर्शाया

[32] आयुध फैक्ट्री मेडक, वाहन फैक्ट्री जबलपुर, वाहन फैक्ट्री आवड़ी, आयुध फैक्ट्री देहू रोड़, ओप्टो इलैक्ट्रोनिक फैक्ट्री देहरादून, गन एवं सैल फैक्ट्री कोसीपुर, गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर, मशीन टूल प्रोटोटाईप फैक्ट्री अम्बरनाथ, आयुध फैक्ट्री खमरिया, स्माल आर्मस फैक्ट्री कानपुर, गोलाबारूद फैक्ट्री किरकी और आयुध केबल फैक्ट्री चण्डीगढ़

हुआ था। अतः ओ.एफ.बी. ने भारत की संचित निधि में से ₹1873.91 करोड़ की बजटीय सहायता प्राप्त की जबकि यह उनके विनियोजन लेखे (2011-12) में भारत की संचित निधि के लिए ₹734.87 करोड़ के अंशदान के रूप में परिलक्षित था। यह तथ्य सही नही है

6.1.5 उत्पादन लागत

वर्ष 2011-12 के दौरान, उत्पादन लागत पर विभिन्न घटकों की लागत का प्रतिशत साथ ही साथ समूहवार/घटकवार लागत का विश्लेषण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	फैक्ट्रियों का समूह	उत्पादन लागत	प्रत्यक्ष भण्डार	प्रत्यक्ष व्यय	प्रत्यक्ष श्रम	उपरिव्यय प्रभार		
						स्थाई उपरिव्यय	परिवर्तनशील उपरिव्यय	कुल उपरिव्यय
1.	सामग्री एवं संघटक (एम. एण्ड़ सी)	2074.91	968.47 **(46.68)**	84.82 **(4.09)**	248.24 **(11.96)**	539.13 **(25.98)**	234.25 **(11.29)**	**773.38 (37.27)**
2.	शस्त्र, वाहन एवं टैंक (डबल्यू वी एण्ड़ ई)	3812.50	2176.03 **(57.08)**	19.09 **(0.50)**	407.11 **(10.68)**	811.74 **(21.29)**	398.53 **(10.45)**	**1210.27 (31.74)**
3.	गोला बारूद एवं विस्फोटक (ए एण्ड़ ई)	5266.51	3613.24 **(68.61)**	38.04 **(0.72)**	390.47 **(7.41)**	1004.25 **(19.07)**	220.51 **(4.19)**	**1224.76 (23.26)**
4.	शस्त्र सज्जित वाहन(ए.वी.)	3818.35	2932.42 **(76.80)**	16.64 **(0.44)**	183.74 **(4.81)**	544.66 **(14.26)**	140.88 **(3.69)**	**685.54 (17.95)**
5.	आयुध टैंक ओ.ई)	961.17	380.18 **(39.55)**	0.36 **(0.04)**	260.53 **(27.10)**	246.39 **(25.63)**	73.71 **(7.67)**	**320.10 (33.30)**
	योग	**15933.44**	**10070.34 (63.20)**	**158.96 (0.99)**	**1490.09 (9.35)**	**3146.17 (19.75)**	**1067.88 (6.70)**	**4214.05 (26.45)**

नोटः- कोष्ठक में दिखाए गए आंकडें कुल उत्पादन लागत पर विशेष घटक की लागत के प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि गोलाबारूद एवं विस्फोटक समूह की फैक्ट्रियों में सभी पांच समूहों की फैक्ट्रियों के महज ₹5266.51 करोड़ की सर्वाधिक उत्पादन लागत दर्ज की गई । दूसरी तरफ आयुध उपस्कर समूह की फैक्ट्रियों में ₹961.17 करोड़ की न्यूनतम उत्पादन लागत दर्ज की गई। ओ.एफ.बी. का औसत उपरिव्यय प्रभार सभी समूहों के उत्पादन लागत का 26.45 प्रतिशत था। फैक्ट्रियों के समूह एम एण्ड सी, डबल्यू वी. एण्ड ई. और ओ.ई.का औसत उपरिव्यय प्रभार अधिक था जबकि ए.एण्ड ई और ए.वी. फैक्ट्रियों के समूह में यह औसत से कम था।

6.1.6 उच्च पर्यवेक्षण तथा अप्रत्यक्ष श्रम प्रभार

प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष श्रम प्रभार, पर्यवेक्षण प्रभार एवं प्रत्यक्षश्रम पर अप्रत्यक्ष श्रम का प्रतिशत साथ ही साथ प्रत्यक्ष श्रम प्रभार पर पर्यवेक्षण प्रभार का प्रतिशत का ब्यौरा **परिशिष्ट-III** में दिया गया है।

यह देखा जा सकता है कि आयुध उपस्कर समूह को छोडकर सभी समूहों में वर्ष 2011-12 में प्रत्यक्ष श्रम प्रभार पर पर्यवेक्षण प्रभार का प्रतिशत अधिक था। प्रत्येक ₹ 1.00 के खर्च पर प्रत्यक्ष श्रम पर्यवेक्षण प्रभार ₹1.18 एवं ₹1.41 के मध्य था।

लेखापरीक्षा द्वारा (अक्तूबर 2012) ध्यान में लाने पर प्रधान लेखा नियंत्रक ने (अक्तूबर 2012) में बताया कि औधोगिक कर्मचारियो के मुकाबले में पर्यवेक्षको के वेतन एवं भत्तो का अधिक होना भी पर्यवेक्षक लागत में बढोत्तरी का कारण थे।

यही कारण था कि वर्ग 'क' एवं ' ख' अधिकारी जो पर्यवेक्षण प्रभार के प्रमुख घटक के पारिश्रमिक के रूप में है, की संख्या मात्र 7917 थी जबकि औद्योगिक कर्मचारी जिनका पारिश्रमिक प्रत्यक्ष श्रम का एक महत्वपूर्ण कारक था, की संख्या 63572 थी जो पर्यवेक्षण प्रभार के परस्पर प्रत्यक्ष लागत के प्रतिरूप से बाहर थी। इस प्रकार प्रत्यक्ष श्रम प्रभार पर पर्यवेक्षण प्रभार को एक उचित स्तर पर लाये जाने की जरूरत है।

ओ.एफ.बी. ने (अक्तुबर 2013) में बताया कि उच्च पर्यवेक्षण प्रभार, गैर राजपत्रित अधिकारी, गैर औधोगिक कर्मचारी वर्ग, डी.एस.सी. को ओवर टाईम के क्षेत्र में आंशिक भुगतान के कारण था । हालाकि आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने लेखापरीक्षा की संस्तुतियों को विस्ततृ अध्ययन के लिए स्वीकार किया।

6.1.7. उत्पादन प्रोफाइल

गोलाबारूद , शस्त्र एवं वाहन, सामग्री एवं संघटक तथा शस्त्र सज्जित वाहनों के लिए उत्पादन कार्यक्रम एक वर्ष हेतु निर्धारित किये गए थें जबकि टैक मदों के लिए चार वर्षीय कार्यक्रम निर्धारित किए गये थे। विगत पांच वर्षों के दौरान मांगो, निश्चित लक्ष्य तथा लक्ष्य को पूरा करने में कमी का विवरण् निम्नलिखित तालिका में दिया गया हैः-

वर्ष	मदों की संख्या जिसके लिए मांग उपलब्ध थी	मदों की संख्या जिनके लिए लक्ष्य निश्चित था	मदों की संख्या जिनका निर्माण लक्ष्य के अनुसार हुआ	मदो की संख्या जिनके लिए लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका	निश्चित लक्ष्य के सन्दर्भ में कमी की प्रतिशतता
2007-08	628	507	360	147	**28.99**
2008-09	419	419	296	123	**29.36**
2009-10	605	434	300	134	**30.88**
2010-11	1016	639	416	223	**34.90**
2011-12	**982**	**547**	**195**	**352**	**64.35**

वर्ष 2011-12 के दौरान 2010-11 की तुलना में 982 मदों के लिए 3.35 प्रतिशत मदों की मांग में मामूली कमी हुई। यद्यपि केवल 547 मदों के लिए आपस में लक्ष्य निर्धारित किये गए थे। यहाँ तक कि लक्ष्य हासिल करने में 64.35 प्रतिशत की कमी थी।

ओ.एफ.बी सभी मदों के लक्ष्य हासिल करने में विफल रही जिनके लिए मांग उपलब्ध थी इन मदों पर सम्भवतः निर्धारित लागत भार को पूर्व में बन्द करके भार मुक्त करने के साथ-साथ अधिक उपरिव्यय के संविभाजित करने के कारण अन्य उत्पादनों की लागत में वृद्धि हुई है।

आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने (अक्तूबर 2013) में बताया कि लक्षित सामान में कमी के कुछ मुख्य कारण थे (i) आर.डी.एक्स प्लांट में लम्बे समय से खराबी टैक और हल्की तोपो के गोला बारूद की कम आपूर्ति (ii) मल्टी मोड ग्रेनेड जैसे सामान के अधिक उत्पादन के लिए

अनुमति प्राप्त ना होना (iii) कुछ सामानो के लक्ष्य को पूरा करने में माँगपत्रों का अर्प्याप्त होना (iv) समय पर निर्यात/बाजार के लिए सामान का उपलब्ध न होना (v) प्रुफ की बुनियादी संरचना में कमी, प्रुफ में देरी होना और (vi) कुछ मामलों में क्षमता की कमी तथा क्षेत्रो में डिजाइन की समस्या।

6.1.8 क्षमता का उपयोग

पिछले पांच वर्षों के दौरान मशीन घन्टों के रूप में क्षमता का उपयोग जिस सीमा तक किया गया उसका विवरण नीचे तालिका मे दिया गया है ।

(मशीन घंटों के रूप में क्षमता का उपयोग)

(घंटे लाखों में)

वर्ष	उपलब्ध मशीन घंटे	उपयोग किये गये मशीन घंटे	क्षमता उपयोग की प्रतिशतता
2007-08	1351	1147	**85**
2008-09	1696	1294	**76**
2009-10	1839	1261	**69**
2010-11	1830	1311	**72**
2011-12	**1577**	**1232**	**78**

वर्ष 2010-11 के दौरान 72 प्रतिशत की तुलना में आयुध फैक्ट्रियों द्वारा 2011-12 में मशीनों का उपयोग 78 प्रतिशत सुधार हुआ है। फिर भी, क्षमता का उपयोग वर्ष 2007-08 में उपार्जित 85 प्रतिशत के स्तर तक नहीं पहुँच सका। आयुध फैक्ट्रियों में उपलब्ध मशीन घण्टों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए ओ.एफ.बी. द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु पहल करनी चाहिए।

6.1.9 उपभोक्ताओं को निर्गम (मांगकर्ताओं)

विगत पांच वर्षो के दौरान आयुध फैक्ट्री बोर्ड के विनियोजन लेखो से प्राप्त मांगकर्ता वार निर्गम का मूल्य निम्नवत थाः

(₹करोड़ में)

मांगकर्ता का नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	स्पील ओवर को छोडकर 2011-12 मे निर्गम
थल सेना	5252.15	5557.66	7054.12	9225.15	10078.82	**8530.58**
नौसेना	119.39	179.41	124.40	243.98	157.67	**156.43**
वायु सेना	239.53	221.02	208.20	219.58	275.67	**245.88**
एम.ई.एस.अनुसंधान एवं विकास (अन्य रक्षा विभाग ओ.डी.डी.)	145.63	124.67	116.40	169.04	190.63	**189.77**
कुल रक्षा	**5756.70**	**6082.76**	**7503.13**	**9857.20**	**10702.79**	**9122.66**
सिविल व्यापार एवं निर्यात	1181.11	1146.55	1212.13	1357.76	1759.20	**1758.21**
कुल निर्गम	**6937.81**	**7229.31**	**8715.25**	**11214.96**	**12461.99**	**10880.87**

हांलाकि 201-12 के दौरान कुल निर्गम का मूल्य (₹12461.99 करोड़) विगत वर्ष की अपेक्षा 11.12 प्रतिशत बढ गया, जबकि वर्ष 2011-12 के दौरान इन मांगकर्ताओं को वास्तविक निर्गम में 2.98 प्रतिशत (₹10880.87 करोड़) की कमी हुई। जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट से स्पष्ट है, 2011-12 के दौरान कुल निर्गम मूल्य के लगभग 78.40 प्रतिशत के साथ, थल सेना आयुध फैक्ट्रियों के उत्पादों का प्रमुख प्राप्तकर्ता रही। सिविल ट्रेड और निर्यात 16.16 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रहे।

2011-12 के दौरान सेवाओं और दूसरे मांगकर्ता को किया गया निर्गम

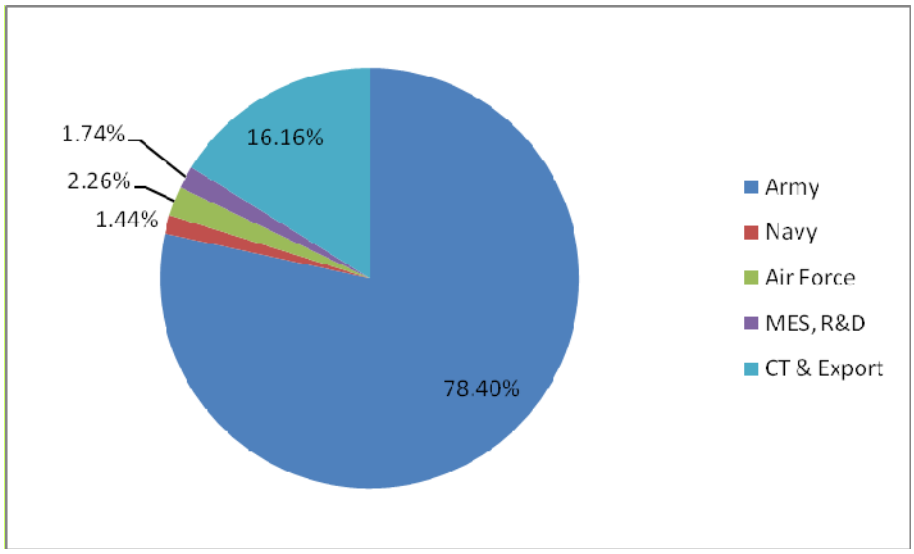

6. 1.10 सिविल व्यापार

आयुध फैक्ट्रियों ने उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता के अधिकतम उपयोग तथा बजट पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से, जुलाई 1986 से, सिविल व्यापार का कार्य आरम्भ किया। 2007-2012 के दौरान गृह मंत्रालय तथा राज्य पुलिस विभागों को की गयी आपूर्ति के अतिरिक्त सिविल व्यापार का टर्न ओवर निम्नवत थाः

(₹करोड़ मे)

वर्ष	संलग्न फैक्ट्रियों की संख्या	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि की लक्ष्य के प्रति प्रतिशतता
2007-08	32	335.01	359.56	**107.33**
2008-09	39	351.12	329.30	**93.79**
2009-10	27	374.23	425.18	**113.61**
2010-11	27	464.50	466.86	**100.50**
2011-12	**27**	**470.00**	**499.89**	**106.36**

जैसाकि सारणी से देखा जा सकता है 2010-11 से 2011-12 में सिविल व्यापार के निर्गम मूल्य में ₹466.86 करोड़ से ₹499.89 करोड़ स्रोतो की वृद्धि हुई तथा लक्ष्य से 6.36 प्रतिशत ज्यादा की उपलब्धि हुई।

6. 1.11 निर्यात

2007-08 से 2011-12 के दौरान, निर्यात के लक्ष्य के संदर्भ में उपलब्धि का विवरण निम्नलिखित तालिका मे दिया गया है: -

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संलग्न फैक्ट्रियॉं	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी(-) अधिकता (+)	लक्ष्य के संदर्भ में कमी(-)/अधिकता (+) की प्रतिशतता
2007-08	10	30.00	27.44	(-) 2.56	(-) 8.53
2008-09	11	35.00	41.07	(+) 6.07	(+) 17.34
2009-10	13	41.30	12.30	(-) 29.00	(-) 70.22
2010-11	8	44.00	35.70	(-) 8.30	(-) 18.86
2011-12	**6**	**40.00**	**46.08**	(+) **6.08**	(+) **15.20**

जैसाकि सारणी से देखा जा सकता है 2011-12 के दौरान, निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में ₹6.08 करोड की वृद्धि हुई, यह लक्ष्य से 15.20 प्रतिशत अधिक था ।

6.1.12 भंडार प्रबन्धन

आयुध फैक्ट्रियों में 2007-08 से 2011-12 के दौरान कुल सामग्री के भंड़ारण की स्थिति निम्नवत थी:

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान वृद्धि/ कमी की प्रतिशतता
1.	कार्यशील भंड़ार						
ए.	सक्रिय	2160.00	2354.00	2732.00	4093.00	4185.00	2.25
बी.	निर्गमित न होने वाले	333.00	322.00	297.00	346.00	507.00	46.53
सी.	कम निर्गमित होने वाले	211.00	287.00	507.00	574.00	476.00	(-) 17.07
	कुल कार्यशील भंडार	**2704.00**	**2963.00**	**3536.00**	**5013.00**	**5168.00**	**3.10**
2.	अनुपयोगी एवं अप्रचलित	14.00	26.00	39.00	20.00	15.00	(-) 25
3.	अधिक/रद्दी	81.00	68.00	64.00	68.00	64.00	(-) 5.89
4.	अनुरक्षण भंड़ार	79.00	73.00	73.00	76.00	89.00	17.10
	योग	**2878.00**	**3130.00**	**3712.00**	**5177.00**	**5336.00**	**3.07**
5.	खपत के दिनों के संदर्भ में औसत भंड़ारण	160	149	177	199	178.00	(-) 10.55
6.	**कुल कार्य-शील भंड़ार के प्रति निर्गमित न होने वाले व कम निर्गमित होने वाले भंडार का प्रतिशत**	**20.12**	**20.55**	**22.74**	**18.35**	**19.02**	**3.65**

2010-11 से 2011-12 के दौरान 12 आयुध फैक्ट्रीयों मे कार्यशील भण्डार अनुमति सीमा से तैयार माल में 3.07 प्रतिशत वृद्वि होकर ₹5177 करोड से ₹5336 करोड हो गई। यह ओ. एफ.बी. का निर्णय तीन वर्षों की आवश्यकता के (दो वर्ष जमा 50 प्रतिशत विकल्प उपबंध) लिए कीमत परिवर्तन धारा सहित पर सामग्री की अधिप्राप्ति बजट आबंटन और स्टोर की शैल्फ लाईन की अनुरूपता के अनुसार सुपुर्दगी सिड्यूल के लिए कार्यवाही करने की सहमति देने के फैसले के कारण हुआ। हॉलाकि कम से कम पाँच फैक्ट्रियाँ (आयुध फैक्टरी कानपुर,आयुध फैक्टरी अम्बाझारी, आयुध फैक्टरी त्रिचि, आयुध फैक्टरी खमरिया, ऑप्टो इलेक्ट्रिनिक फैक्ट्री देहरादून, द्वारा 31 मार्च 2012 को **परिशिष्ट-IV** में दिए गए विवरण के अनुसार इन फैक्ट्रियों में स्टेगर्ड वितरण तंत्र पूरी तरह लागू न होने के कारण अत्यधिक मात्रा में स्टॉक रखा गया। इन फैक्टरियों में धनिक अवरूद्ध को रोकने के लिए मजबूत भंड़ार प्रबंधन तथा अधिक स्टोर को रखने की समीक्षा करने की आवश्यकता है ।

आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने (अक्तूबर 2013) में तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया कि या तो बाजार से या फिर अन्तर फैक्ट्री मांग की सदृश मदों की अनुपलब्धता अतिंम उपलब्धि लक्ष्य से कम थी। आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने यह भी बताया कि उसने फैक्ट्ररियो को कुल बजट आबंटन, शेल्फ लाइफ, आपूर्ति आदेश को समय पर पूरा करने को ध्यान में रखते हुए निर्देशो का कडाई से पालन करना चाहिए।

6. 1.12.1 तैयार भंड़ार का भंड़ारण

प्रधान नियंत्रक लेखा (फैक्ट्रियाँ) कोलकाता द्वारा तैयार 2011-12 के लिए आयुध फैक्ट्री संगठन के वार्षिक लेखे की पुनरीक्षा से प्राप्त, पिछले पाँच वर्षों के दौरान तैयार माल के भंड़ारण (पूर्ण वस्तुएँ एवं संघटक) की स्थिति निम्नवत थी :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
तैयार वस्तुओं का भंडारण	79.00	506.00	166.59	112.62	**92.43**
कुल उत्पादन लागत	9312.61	10610.40	11817.89	14012.12	**15933.44**
निर्गम दिवस के रूप में तैयार भंडार का भंडारण	3	17	5	3	**2**
कुल उत्पादन लागत की प्रतिशतता के रूप में भंडारण	0.85	4.77	1.41	0.80	**0.58**
तैयार संघटक का भडारण	617.00	458.00	1015.04	1101.73	**1119.16**
खपत के दिनों की संख्या के रूप में तैयार संघटकों का भंडारण	44	38	85	65	**62**
कुल उत्पादन लागत की प्रतिशतता के रूप में तैयार संघटकों का भंडारण	**6.63**	**4.32**	**8.59**	**7.86**	**7.02**

यद्यपि 31 मार्च 2012 को तैयार (पूर्ण) वस्तुओं के मूल्य में 17.93 प्रतिशत की कमी आई, 2010-11 की तुलना में, 2011-12 में तैयार संघटकों का मूल्य 1.58 प्रतिशत बढ़ गया । भारी मात्रा में तैयार संघटकों के शीघ्र उपयोग के लिए खपत के दिनों की संख्या के रूप में

तैयार संघटकों का भण्डारण 2008-09 के 38 दिन तक के स्तर पर लाने के लिए तत्काल कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है ।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि 2011-12 के दौरान आयुध फैक्ट्री संगठन द्वारा तैयार संघटकों के उपयोग की लागत किसी भी लेखे में नही दर्शायी गयी है । 2011-12 के वार्षिक उत्पादन लेखे के नीचे केवल एक फुट नोट में यह दिखाया गया कि उत्पादन में उपयोग किए गए तैयार संघटकों की लागत ₹6644.69 करोड़ थी ।

प्रधान लेखा नियंत्रक ने (अक्तूबर 2012) अपने उत्तर में आश्वासन दिया कि 2012-13 से आगे वार्षिक लेखों के अनुलग्नक के रूप में फैक्ट्रीवार वर्ष के दौरान तैयार किये गये, उपयोग किये गये संघटको के आरम्भिक शेष तथा अन्तिम शेष सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी चूकि समेकित वार्षिक लेखो में तैयार संघटको के उत्पादन में खपत की कीमत को दर्शाना सम्भव नही होगा।

6. 1.13 जारी कार्य

आयुध फैक्ट्री का महाप्रबंधक, उत्पादन कारखाने को एक अधिपत्र जारी करके किसी मद की दी हुई मात्रा के निर्माण के लिए प्राधिकृत करता है, जिसकी सामान्य वैधता छ: माह की होती है । विभिन्न अधिपत्रों से संबंधित मद जो कारखानों में अर्धनिर्मित अवस्था में पड़े होते हैं उन्हें 'जारी कार्य'के रूप में जाना जाता है । पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी कार्य की स्थिति निम्नवत थी:

(₹ करोड़ में)

31 मार्च की स्थिति	जारी कार्य का मूल्य
2008	**1265.00**
2009	**1961.82**
2010	**2121.75**
2011	**2297.06**
2012	**2551.84**

2010-11 की तुलना में 31 मार्च 2012 को जारी कार्य का कुल मूल्य 11.09 प्रतिशत अधिक हो गया । 31 मार्च 2012 को कुल 28,893 अधिपत्र बकाया थे । जिसमें से 4657 अधिपत्र 2010-11 एवं 2010-11 के पूर्व के वर्षों से संबंधित थे, सबसे पुराना अधिपत्र 1993-94 से संबधित था ।

बकाया अधिपत्रों की स्थिति भारी वाहन फैक्ट्री आवड़ी के सबसे ज्यादा (4342 अधिपत्र ₹462.14 करोड़ के), आयुध फैक्ट्री चंदा (326 अधिपत्र ₹210.23 करोड़) आयुध फैक्ट्री मेडक (2874 अधिपत्र ₹ 328.44 करोड़) आयुध फैक्टरी अम्बाझारी (₹183.24 करोड़ मूल्य के 1113 अधिपत्र) और आयुध फैक्ट्री खमरिया (₹251.99 करोड़ मूल्य के 130 अधिपत्र)।

प्रधान लेखा नियंत्रक ने (अक्तूबर 2013) में बताया कि पुराने लम्बित वारंटो को जल्दी बन्द करने के लिए सभी शाखा लेखा कार्यालय को फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मामलों को उठाने कि लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये थे।

6. 1.14 हानियाँ

31 मार्च 2012 को समाप्त विगत पांच वर्षों के दौरान अपलेखित हानियों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान एवं परित्यक्त दावे	शून्य	0.22	शून्य	शून्य	**2.88**
2.	चोरी, धोखाधड़ी एवं लापरवाही के कारण हानि	29.11	0.28	0.17	4.97	**शून्य**
3.	चोरी, धोखाधड़ी एवं लापरवाही के अलावा वास्तविक शेष में कमी के कारण हानि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	**शून्य**
4.	पारगमन हानि	0.16	6.46	16.85	21.38	**शून्य**
5.	अन्य कारण (दोषयुक्त भंडारण के अलावा भंडार की कंडीशनिंग स्टोर जो प्रचलन से हटने के कारण स्क्रेप हो गया	19.58	180.41	1.07	122.64	**149.95**
6.	दोषयुक्त भंड़ारण हानि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	**शून्य**
7.	भंड़ार से असम्बन्ध हानियाँ	333.90	73.75	233.19	518.20	**92.51**
	योग	**382.75**	**261.12**	**251.28**	**667.19**	**245.34**

2011-12 के दौरान अपलेखित हानियों में पूर्व वर्ष की तुलना में ₹421.85 लाख की कमी हुई। जबकि 2011-12 में अपलेखित हानियों में अन्य कारणों से 22 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाई गई। चूकि जून 2012 को, ₹123.17 करोड़ मूल्य के 253 मामलों में रक्षा मंत्रालय द्वारा नियमितीकरण किया जाना प्रतीक्षित था जिसमें से सबसे पुराना मद वर्ष 1964-65 से संबंधित था । आयुध फैक्ट्री खमरिया (₹43.06 करोड़) आयुध फैक्ट्री वारांगाव (₹20.22 करोड़) गोला बारूद फैक्ट्री किरकी (₹17.08 करोड़) धातु एवं इस्पात फैक्ट्री ईसापुर (₹11.10 करोड़) की हानियों को नियमित करने की घोषणा की गई। आयुध फैक्टरी बोर्ड़ तथा मंत्रालय द्वारा इस तरह की हानियों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ।

आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने (अक्तूबर 2013) में बताया कि (i) बोर्ड की मीटिंग में स्थिति का त्रैमासिक सर्वेक्षण किया जा रहा था (ii) मामले की जल्दी मंजूरी के लिए मुदे, को मंत्रालय में उठाया जा रहा था। हानियों के शीघ्र नियमतिकाल के लिए नियत्रंण को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

मामले को जूलाई 2013 में रक्षा मंत्रालय को भेजा गया था, नवम्बर 2013 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था ।

नोट: इस पैराग्राफ में शामिल आंकड़े, मुख्यत: प्रधान निदेशक लेखा(फैक्ट्रियाँ) कोलकाता द्वारा 2011-12 के लिए तैयार आयुध एवं आयुध उपस्कर फैक्ट्रियों के समेकित वार्षिक लेखे, प्रधान नियंत्रक लेखा (फैक्ट्रियाँ) कोलकाता एवं आयुध फैक्ट्री बोर्ड कोलकाता द्वारा अनुरक्षित दस्तावेजों तथा प्रस्तुत सूचनाओं पर आधारित हैं ।

भण्डार / मशीनरी की अधिप्राप्ति

6.2 एक अवयव की अधिप्राप्ति पर परिहार्य अतिरिक्त व्यय

8 ए टेल यूनिट के कुल लेन-देन लागत से ओ.एफ.सी. के अधिक सामग्री लागत के बावजूद आयुध फैक्ट्री कानपुर (ओ.एफ.सी.) से गोला बारूद फैक्ट्री किरकी/ आयुध फैक्ट्री देहू रोड़ द्वारा 8 ए टेल यूनिट की अधिप्राप्ति पर ₹ 24.79 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2005 की प्रतिवेदन संख्या 6 के लेखापरीक्षा पैरा 8.4. में वर्णित था कि आयुध फैक्ट्री बोर्ड (ओ.एफ.बी.) के परिपत्र (अक्तूबर 1997)में विचलन के कारण आयुध फैक्ट्री देहू रोड़ (ओ.एफ.डी.आर.) ने आयुध फैक्ट्री कानपुर (ओ.एफ.सी.) से अवयव (टेल अडेप्टरो)[33] की अधिप्राप्ति, यद्यपि ओ.एफ.सी. द्वारा आपूर्ति की गई टेल अडेप्टरों की सामग्री लागत तैयार माल के लेन-देन की लागत से अधिक था, के कारण ₹ 3.04 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मंत्रालय ने अपनी 'की गई कार्यवाही की टिप्पणी' (ए.टी.एन.)(नवम्बर 2009) में कहा कि आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने व्यापार अधिप्राप्ति की नीति मार्गनिर्देश की तुलना में अन्तर फैक्ट्री माँग (आई.एफ.डी.) व्यय की समीक्षा की (नवम्बर 2006) और सभी आयुध फैक्ट्रियो के वरिष्ठ महा-प्रबन्धकों/ महा-प्रबन्धकों को कुल आवश्यकता पर कुल व्यापार लागत का फैक्ट्री में निर्मित अवयव मद की सामग्री लागत अधिक होने पर 100 प्रतिशत की अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में एक परिपत्र (दिसम्बर 2006) जारी करके निर्देश दिए।

2008-09 से 2011-12 की अवधि में व्यापार फर्मों तथा आयुध फैक्ट्री कानपुर (ओ.एफ.सी.) से 51 मि.मी. गोलाबारूद के निर्माण के लिए एक अवयव की आवश्यकता के लिए ओ.एफ.डी.आर. एवं गोलाबारूद फैक्ट्री किरकी (ए.एफ.के.) ने 8 ए[34] टेल यूनिट की अधिप्राप्ति की। हमने ओ.एफ.सी. के लागत नमूना की जाँच की (अप्रैल 2012 एवं अक्तूबर 2012)और देखा कि 2008-09 से 2011-12 के दौरान प्रत्येक 8 ए टेल यूनिट की सामग्री लागत ₹ 337 एवं ₹ 504 के बीच था जो बाह्य व्यापार के तैयार माल की कुल यूनिट लागत (₹ 63 एवं ₹ 81 के बीच) लगभग छः गुणा अधिक था। ओ.एफ.सी. में इस असामान्य सामग्री लागत के रुख की उपेक्षा करते हुए 2008-09 से 2011-12 के दौरान व्यापार मूल्य की तुलना में ए.एफ.के./ ओ.एफ.डी.आर. ने ओ.एफ.बी. के परिपत्र (दिसम्बर 2006) का उल्लंघन करके ओ.एफ.सी. से 6.51 लाख 8 ए टेल यूनिट जो प्रत्येक यूनिट ₹ 371 एवं ₹ 494 के बीच थी की अधिप्राप्ति के लिए 8 आई.एफ.डी.प्रस्तुत की। ए.एफ.के./ ओ.एफ.डी.आर. ने (मई 2009 से सितम्बर 2011) 20 आपूर्ति आदेशों के द्वारा 6.42 लाख 8 ए टेल यूनिट की भी अधिप्राप्ति की जो व्यापार से बहुत सस्ती दर प्रत्येक यूनिट ₹58.50 एवं ₹ 81 के बीच थी।

विद्यमान परिपत्र के उल्लंघन के बावजूद बार-बार ऊँची दरों पर आई.एफ.डी दिए जाने पर न तो मंत्रालय ने और न ही ओ.एफ.बी ने इस मुद्दे को अपने दिसम्बर 2006 के परिपत्र के उपरान्त हुई अपनी बोर्ड की बैठक में रखा।

[33] एक अवयव का समायोजन द्वारा गोलाबारूद की सैल बाँड़ी के टेल यूनिट में फिट करके प्रयोग में लाना
[34] एक अवयव जो कि 51 मि.मी. मोरटार बम्ब को इसकी उड़ान के दौरान दिशा को स्थिर करता हैं।

ओ.एफ.सी. से ऊँची लागत पर अधिप्राप्ति को न्यायोचित ठहराते हुए ओ.एफ.बी. ने कहा (अक्तूबर 2013) कि 8 ए टेल यूनिट की 50 प्रतिशत की आवश्यकता की अधिप्राप्ति ओ.एफ.सी. से की और शेष 50 प्रतिशत व्यापार से जो उनके दिसम्बर 2006 एवं फरवरी 2009[35] के परिपत्र के अनुरूप था।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योकि ओ.एफ.बी. का दावा उनके दिसम्बर 2006 के परिपत्र के विरोधात्मक हैं जिसमें स्पष्टतः वर्णित है कि 100 प्रतिशत आवश्यकता अधिप्राप्ति व्यापार से होनी चाहिए यदि फैक्ट्री निर्मित मद के अवयव की सामग्री लागत व्यापार लागत से अधिक हो। इसके अतिरिक्त ओ.एफ.बी. का फरवरी 2009 का परिपत्र इससे सम्बन्धित नही है क्योंकि यह मूल आयुध फैक्ट्रियों के उत्पादन की सीमान्त लागत व्यापार मूल्य से अधिक होने के मामले से सम्बन्धित है।

इस प्रकार ओ.एफ.बी के दिसम्बर 2006 के परिपत्र का उल्लंघन करके व्यापार लागत से अधिक ऊँची लागत पर ओ.एफ.सी. से 6.51 लाख 8 ए टेल यूनिटों की अधिप्राप्ति के फलस्वरूप ₹ 24.79 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

यह मामला जुलाई 2013 में रक्षा मंत्रालय को भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2013)

6.3 विदेशी आपूर्तिकर्ता को विनिमय दर अन्तर की मंजूरी से अनुचित लाभ देना

रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली के उल्लंघन एवं रक्षा मंत्रालय के अनुमोदन की प्राप्ति के बिना आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने विदेशी आपूर्तिकर्ता को विनिमय दर अन्तर के कारण ₹ 1.22 करोड़ की अतिरिक्त भुगतान की मंजूरी प्रदान करके अनुचित लाभ पहुँचाया

रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली 2005 (डी.पी.एम.) के पैरा 13.14 में अनुबन्धित है कि यदि संविदा की तिथि से आपूर्ति अवधि एक वर्ष से अधिक है जिसमें आयात (विदेशी विनिमय) निहित हो, को विनिमय दर अन्तर (ई.आर.वी.) दिया जाना था। यदि आपूर्तिकर्त्ता की गलती के कारण आपूर्ति अवधि (डी.पी.) पुनः नियत/ बढ़ाई गई हो तो ई.आर.वी. लागू नहीं होगी। ई.आर.वी के लिए आधार तिथि संविदा स्वीकृति की तिथि होगी।

आयुध फैक्ट्री नालन्दा के लिए नाईट्रोसेलूलोज (एन.सी.) संयंत्र की अधिप्राप्ति के लिए रक्षा मंत्रालय (एम.ओ.डी.) ने अक्तूबर 2008 में मंजूरी दी। तदनुसार ओ.एफ.बी. ने एन.सी. संयंत्र की अधिप्राप्ति के लिए मैसर्स बोवाज इन्दूप्लान कैमी, आस्ट्रिया (फर्म) के साथ यूरो 15386085[36] (₹100.53 करोड़) के विदेशी विनिमय तत्व के साथ जनवरी 2009 में संविदा की जो कि रक्षा मंत्रालय से विधिवत अनुमोदित था। संविदा के अनुसार एन.सी. संयंत्र की आपूर्ति जुलाई 2011 तक सम्पूर्ण होनी थी।

---

[35] आपूर्तिकर्ता तथा प्राप्तकर्ता फैक्ट्रियों दोनों के प्रचालन प्रभाग वित्त प्रभाग से परामर्श करके ऐसे मामलों की समीक्षा करेंगे, जहाँ भी आयुध फैक्ट्री मूल के उत्पादों की सीमान्त लागत व्यापार मूल्य से अधिक पाई जाती है और सिस्टर-फैक्ट्रियों से ऐसी मदों की अधिप्राप्ति केवल आयुध फैक्ट्री बोर्ड के अनुमोदन के बाद ही की जाएगी।

[36] 1 यूरो का विनिमय दर - ₹ 65.34 संविदा की तिथि पर

हमने (जुलाई 2013) में देखा कि फर्म सुपुर्दगी अवधि का पालन करने में दृढ़ रहने में विफल रही और फर्म के अनुरोध पर ओ.एफ.बी. ने समय-समय पर मई 2013 तक संयंत्र की आपूर्ति की समय सीम बढ़ाई। सन्तोषजनक निष्पादन परीक्षण के उपरान्त (दिसम्बर 2012) एन.सी. संयंत्र को (अप्रैल 2013) प्रभार पर ले लिया था।

हमने यह भी देखा कि मैसर्ज बोवाज आस्ट्रिया द्वारा एन.सी. संयंत्र की सुपुर्दगी में विलम्ब के बावजूद ओ.एफ.बी. ने डी.पी.एम. का उल्लंघन करते हुए ई.आर.वी. की मंजूरी दी एवं एक यूरो= ₹ 72.91 के विनिमय दर पर (3 जून 2013) यूरो 1610485.90 प्रदान किए जबकि संविदा की तिथि पर एक यूरो = ₹ 65.34 के विद्यमान विनिमय दर पर था। यद्यपि संविदा रक्षा मंत्रालय से अनुमोदित थी फिर भी ओ.एफ.बी. ने नियत सुपुर्दगी अवधि के बाद भी ई.आर.वी. प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय को अनुरोध नही भेजा। डी.पी.एम. के अनुसार ओ.एफ.बी. कोई अतिरिक्त ई.आर.वी. प्रदान करने के लिए अधिकृत नही था।

मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2013) कि डी.पी.एम. 2005 जो ओ.एफ.बी. पर लागू नही था का डी.पी.एम. 2009 ने स्थान ले लिया जिसमें स्पष्टतः वर्णित था कि ई.आर.वी खण्ड केवल रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डी.पी.एस.यू) के साथ संविदा करने में सम्मिलित किया जाना था जिसमें आयात विषय-तत्व सम्मिलित था।

उत्तर तथ्यातमक रूप से गलत था। क्योकि डी.पी.एम. 2005 के प्रावधान जो रक्षा मंत्रालय के सभी स्कन्धों पर लागू था और इस नियम पुस्तिका के स्थान पर डी.पी.एम. 2009 का आ जाना असंगत है क्योंकि डी.पी.एम. 2009 लागू होने से पहले (जनवरी 2009) ये संविदाएं हो चुकी थी। मंत्रालय का उत्तर भी विरोधात्मक है क्योंकि एक तरफ वे यह कहते हैं कि डी.पी.एम. 2005 ओ.एफ.बी. पर लागू नही था और दूसरी तरफ हवाला देते हैं कि डी.पी.एस यू. के साथ संविदा करने के लिए केवल ई.आर.वी. खण्ड का समावेश करने के लिए डी.पी.एम. 2009 संदर्भित हैं।

इस प्रकार डी.पी.एम. के प्रावधानों के उल्लंघन द्वारा ठेकेदारों को अनुचित लाभ देने के साथ-साथ ओ.एफ.बी. ने ई.आर.वी.के कारण ₹ 1.22 करोड़. का अतिरिक्त व्यय किया।

6.4 निविदा पूछताछ एवं संविदा की शर्तो को हल्का करने से एक विदेशी फर्म को अनुचित लाभ मिला

आयुध फैक्ट्री बडमाल ने रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली के उल्लंघन में ₹ 2.58 करोड मूल्य की पी सी शीटों को उनका उत्पादन महीना अभिनिश्चित किए बिना स्वीकार करके एक विदेशी फर्म को अनुचित लाभ पहुँचाया। इसके साथ-साथ आयुध फैक्ट्री चंदा को पी सी शीटों के विलंबित जारीकरण के फलस्वरूप ₹ 0.67 करोड मूल्य के शेल्फ लाइफ समाप्त पीसी शीटों का संचयन हुआ।

रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली (डी पी एम)2009 का पैराग्राफ 7.1.2 निर्दिष्ट करता है कि संविदा में मामले विशेष के लिए विनिर्दिष्ट शर्तो का समावेश होना चाहिए जैसा कि प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर एफ पी)/ निविदा पूछताछ (टी ई)मे उल्लिखित था।

रूस के मैसर्स रोसोबोरोनएक्सपोर्ट (ओ ई एम)से प्राप्त प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के आधार पर आयुध फैक्ट्री बडमाल (ओ एफ बी एल) एवं आयुध फैक्ट्री चंदा(ओ एफ सी एच) में 125 मि.मी. उच्च विस्फोटक तथा 125 मि.मी उच्च विस्फोटक टैंक रोधी गोला बारूद (गोलाबारूद) का देशी उत्पादन प्रारंभ किया गया ।

125 मि.मी.उच्च विस्फोटक तथा उच्च विस्फोटक टैंक रोधी गोलाबारूद का उत्पादन करने हेतु ओ एफ सी एच और ओ एफ बी एल को 0.52 मि.मी.- 0.56 मि.मी (पी सी-1) और 0.29 मि.मी.- 0.34 मि.मी. (पी सी-2) सघनता वाली प्रॉक्सीलिन सेल्यूलोस शीटों की आवश्यकता थी। तदनुसार आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने ओ एफ सी एच के लिए पी सी शीटों की अधिप्राप्ति हेतु ओ एफ बी एल को केंद्रक अभिकरण के रूप में नामांकित किया।

पी सी शीटों के संबंध मे मूल उपस्कर निर्माता के तकनीकी विनिर्देशन में पी सी शीटों की भंडारण अवधि उत्पादन की तिथि से छः महीने निर्दिष्ट की गई थी। छः महीने से अधिक किंतु दो वर्ष से कम अवधि के लिए भंडारण की स्थिति में पी सी शीटों का पूर्ण पुनरावृत्त विश्लेषण किया जाना चाहिए। इस प्रकार पी सी शीटें जो उत्पादन की तिथि से दो वर्ष से अधिक समय की थी, उपयोग हेतु उपयुक्त नहीं थीं।

29120 कि.ग्रा. पी सी -1 और 9920 किं.ग्रा. पी.सी.-2 की अधिप्राप्ति हेतु ओ एफ बी एल द्वारा 19 सितम्बर 2009 में पांच विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं को निविदा पूछताछ जारी की गई। निविदा पूछताछ में प्रावधान था कि प्रदान की जाने वाली सामग्री नूतन उत्पादन की खेपों मे से होनी चाहिए तथा आवश्यक प्रलेखों को अग्रेषित करते समय उत्पादन के वर्ष् के साथ-साथ महीने की पुष्टि की जानी चाहिए। हमने देखा (जनवरी 2012) कि यद्यपि पी सी शीटों की भंडारण अवधि उत्पादन की तिथि से गिनी जाएगी, फिर भी निविदा पूछताछ में केवल ' उत्पादन के महीना' का उल्लेख था, न कि ' उत्पादन की तिथि ' का।

निविदा पूछताछ के उत्तर में रूस के मेसर्स रोसोबोरानएक्सपोर्ट और यूक्रेन के मेसर्स टास्को एक्सपोर्ट (टी ई यू) से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा मेसर्स टी ई यू के प्रस्ताव को निम्नतम पाया गया। तदनुसार ओ एफ बी एल और मेसर्स टी ई यू के बीच अक्तूबर 2009 में 554368 यू एस डालर (1यू एस डालर =₹ 14.20 की दर से ₹ 2.70 करोड़) की कुल लागत पर 29120 कि.ग्रा (पी सी-1) और 9920 कि.ग्रा. (पी सी-2) की अधिप्राप्ति हेतु एक संविदा की गई तथापि यह देखा गया(जनवरी 2012)कि ओ एफ बी एल ने रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली और मूल उपस्कर निर्माता के तकनीकि विनिर्देशनों के उल्लंघन में उत्पादन की वास्तविक तिथि से संबंधित खंड को संविदा में सम्मिलित नहीं किया था।

इसके बाद ओ एफ बी एल में मेसर्स टी ई यू (₹ 2.58 करोड़) से 29120 कि.ग्रा.(पी.सी.1)और 9920 कि.ग्रा.(पी.सी.2) शीटें प्राप्त हुई (अप्रैल 2010)। जांच प्रमाणपत्र मे उत्पादन की वास्तविक तिथि के समामेलन के बिना मेसर्स टी ई यू द्वारा जारी निरीक्षण प्रमाणपत्र और स्वीकृति जांच रिपोर्ट (जांच रिर्पोर्ट)के आधार पर ओ एफ बी एल द्वारा इन्हें प्राप्त और स्वीकार किया गया। प्राप्त पी सी शीटों में से ओ एफ बी एल ने परिवहन ठेके को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण अगस्त 2010 और फरवरी 2012 के बीच अर्थात लगभग दो वर्ष से अधिक के पश्चात 11951 किं.ग्रा. (पी सी-1) और 2550 कि.ग्रा. (पी सी-2) ओ एफ सी एच को जारी की। तथापि जून 2013 में हमारे द्वारा की गई अभिलेखों की ही जांच

से पता चला कि ओ एफ सी एच के पास भंडार में (जून 2013) ₹ 67.03 लाख मूल्य की 8880 कि.ग्रा. (पी.सी.-1) और 1266 कि.ग्रा (पी सी -2) शीटें पड़ी थी। चूँकि पी सी शीटों का शेल्फ लाइफ समाप्त हो गई थी, इसलिए उनके उपयोग की संभावना कम थी।

ओ एफ बी एल ने कहा (जनवरी 2012)कि संविदा इसका स्पष्ट उल्लेख था कि आपूर्ति किए जाने वाले भंडार नए अर्थात चालू वर्ष में उत्पादित थे तथा उसमें सभी नवीनतम सुधारों व आशोधनों को सम्मिलित करेगें। ओ एफ बी एल ने यह भी कहा (नवबंर 2013) कि उन्हें प्राप्त पी सी शीटों की वास्तविक उत्पादन तिथि का मेमर्स टी ई यू द्वारा उल्लेख नही किया गया था, किंतु मेसर्स टी ई यू द्वारा उत्पादन वर्ष का उल्लेख जांच प्रमाणपत्र में "चालू वर्ष अर्थात 2009-10" के रूप में किया गया था।

यह उत्तर तथापि स्वीकार्य नहीं है, क्योकिं निविदा पूछताछ में केवल ' उत्पादन का महीना ' सम्मिलित किया गया था, जबकि संविदा में उत्पादन का वर्ष सम्मिलित किया गया। इसने मूल उपस्कर निर्माता के तकनीकी विनिर्देशन की आवश्यकता तथा रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली के पैराग्राफ 7.1.2 को हल्का कर दिया। इसके अतिरिक्त पी सी शीटें जैसी सीमित शेल्फ लाइफ वाली संवेदशील मदों के लिए जहां भंडारण अवधि सीमित है, जांच प्रमाणपत्र के आधार पर पी सी शीटों की अधिप्राप्ति और प्राप्ति के दौरान उत्पादन की वास्तविक तिथि के समामेलन का आग्रह किया जाना चाहिए था।

ओ एफ बी एल द्वारा परिवहन ठेके को अतिंम रूप देने मे हुए विलंब को स्वीकार करते हुए आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने कहा (सितंबर 2013) कि ओ एफ सी एच मे उपलब्ध पी सी शीटों का लाभकर रूप मे उपयोग करने हेतु यह मामला सी क्यू ए (गोला बारूद) किरकी/ सी क्यू ए (एम ई) के साथ उनकी पुनःजांच के लिए उठाया जा रहा था तथा पुनः जांच हेतु आवश्यक आयातित रसायन नवबंर 2013 मे पहुँच जाएगा।

यह उत्तर तथापि स्वीकार्य नहीं है क्योकिं ओ एफ सी एल के भंडार में पडी शीटों की शेल्फ लाइफ उनकी प्राप्ति की तिथि से गिने जाने पर भी समाप्त हो चुका था और इसलिए पुनरावृत्त विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, ओ एफ सी एच में पी सी शीटों की पुनःजांच हेतु रसायनों का आयात करने से कोई प्रयोजन नहीं होगा।

इस प्रकार संविदा में पी सी शीटों के उत्पादन की वास्तविक तिथि से संबंधित खंड का समावेश करने में ओ एफ बी एल की विफलता और फर्म के जांच प्रमाणपत्र के आधार पर उसकी स्वीकृति ने ₹ 2.58 करोड़ मूल्य की पी सी शीटों की वास्तविक समाप्ति की तिथि अभिनिश्चित करने की संभावना को रोक दिया था। इसके साथ- साथ ओ एफ बी एल द्वारा परिहवहन ठेके को अतिंम रूप देने मे हुए विलंब के कारण ओ एफ सी एच को पी सी शीटों को विलबित जारीकरण किया गया, जिसके फलस्वरूप ओ एफ सी एच में ₹ 0.67 करोड़ मूल्य के 10146 कि.ग्रा जीवनकाल समाप्त पी सी शीटों का संचयन हुआ।

यह मामला जून 2013 में मंत्रालय को भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2013)

विनिर्माण

6.5 खाली शेलों के निराकरण के कारण हानि और परिणामस्वरूप भंडार का अवरोधन

प्रमाण प्रक्रिया का समाधान करने में उत्पादन और निरीक्षण अभिकरण विफल रहे, ₹ 2.78 करोड़ मूल्य के खाली शेलों के निराकरण के कारण उत्पन्न हुए। (आयुध फैक्ट्री कानपुर द्वारा उत्पादन) इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.28 करोड़ की भंडार अप्रयुक्त पड़ा रहा।

एक दक्षिण अफ्रीकी फर्म[37] (ओ.ई.एम.) के साथ जून 1998 में प्रौद्यागिक कि हस्तांतरण (टी.ओ.टी.) के समझौते के आधार पर आयुध फैक्ट्री ने अक्तुबर 2000 से शैल 155 मि.मी. प्रदीप्त गोलाबारूद का स्वदेशी विनिर्माण किया। आयुध फैक्ट्री कानपुर (ओ.एफ.सी.) एवं आयुध फैक्ट्री देहू रोड़ (ओ.एफ.डी.आर) नियन्त्रणालय गुणवत्ता आश्वासन स्थापना (गोलाबारूद) किरकी (सी.क्यू.ए./ए) के निरीक्षण कवरेज मे क्रमशः खाली शैल के विनिर्माण एवं गोलाबारूद असैम्बलिंग भरने के कार्य में लगी हुई थी। (सी.क्यू.ए./ए) गुणवत्ता आश्वासन के साथ गोलाबारूद की प्रमाण कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी है।

जुलाई 1998 में प्रमाण कार्यप्रणाली को अन्तिम रूप देने के लिए आयुध फैक्ट्री बोर्ड (ओ.एफ.बी.) ने एक कार्य दल को गठित किया जिसके अध्यक्ष आयुध फैक्ट्री अम्बाझारी के वरिष्ठ महाप्रबन्धक एवं प्रतिनिधियों के रूप में आयुध फैक्ट्री[38] एवं महानिदेशालय गुणवत्ता आश्वासन[39] डी.जी.क्यू.ए. थे। प्रमाण कार्यप्रणाली के साथ-साथ विनिर्दिष्ट है कि गोलाबारूद के खाली शेलों (खोखलो) को 397 ± 8 एम.पी.ए.[40] के अधिकतम प्राप्य दाब का चार्ज-9 पर होना चाहिए।

तदनन्तर, ओ.एफ.सी. द्वारा अक्तूबर 2000 में 100 खोखलों का पायलट जत्था का विनिर्माण एवं ओ.एफ.डी.आर. द्वारा भरे गये की जाँच की और पारित किया गया(जून 2001)। इसके बाद ओ.एफ.सी. को ओ.एफ.डी.आर से 17018 खोखलों की अन्तर फैक्ट्री माँगे प्राप्त हुई जिसके विरूद्ध ओ.एफ.सी.ने 18 खेपों में 9410 खोखलों की आपूर्ति की गई जो सी.क्यू.ए/ए से विधिवत वसूली प्रमाण स्वीकृत थे।इस के बाद ओ.एफ.डी.आर. ने खोखले को भर तथा अप्रैल 2002 तथा जून 2009 के बीच सेना को 9069 भरे हुए गोला बारूद को निर्गमित किया।

लेखापरीक्षा में फरवरी 2012 में हमने देखा कि ओ.एफ.सी. ने नवम्बर 2007 में 19 खेपों के समाविष्ट 966 खोखलों का विनिर्माण किया जिसका जनवरी 2008 में सी.क्यू.ए / ए द्वारा जाँच संचालन करने पर ड्राईविंग बैंड के पृथक्करण, ड्राईविंग बैंड में आंशिक चिकनापन, ड्राईविंग बैंड पर भारी डबल नक्काशी के कारण नामंजूर कर दिए। ओ.एफ.सी द्वारा दोषपूर्ण खोखलों का निर्माण सी.क्यू.ए/ए.द्वारा नामंजूरी का कारण बताया गया।

ओ.एफ.सी/ ओ.एफ.बी ने टी.ओ.टी. में विहित की गई उच्च प्रभार (चार्ज-9 वृद्धि) पर जाँच के दौरान खोखलों पर जरूरत से अधिक उर्जा उत्पन्न होने के कारण उन्नीसवीं खेप को

[37] नसचेम मैसर्ज डैनिल का एक प्रभाग, दक्षिणी अफ्रीका

[38] आयुध फैक्ट्री अम्बाझारी, चंदा, देहू रोड़, बोलनगीर और इटारसी

[39] नियन्त्रणालय गुणवत्ता आश्वासन (गोला बारूद) किरकी एवं वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापना, अम्बाझारी ।

[40] मेगापास्कल- दाब की एकंक

नामन्जूर कर दिया। फिर भी डी.जी.क्यू.ए ने कहा कि एक कार्य दल द्वारा (इस विषय पर खोखलों पर 397 ± 8 एम.पी.ए. का दबाव महसूस करने का चार्ज-9 वृद्धि) प्रमाण कार्यप्रणाली को अतिंम रूप देने के आधार पर खोखले नामन्जूर हुए थे।

यद्यपि तक कि दिसम्बर 2008 - जून 2011 तक मंत्रालय, डी.जी.क्यू.ए. एवं आयुध फैक्ट्रियों के स्तर पर कई बैठकें आयोजित की गई। लेकिन यह मामला अनसुलझा रहा। तत्पश्चात् डी.जी.क्यू.ए. ने ओ.इ.एम को यह मामले भेजे जिसने अगस्त 2010 में स्पष्ट किया कि खोखले 440 एम.पी.ए. तक दबाव को सहन कर सकता था एवं 440 एम.पी.ए. के अधिकतम दाब तक खोखलों की पुनः प्राप्यता का प्रमाण देने के निर्देश दिए।

तथापि ओ.एफ.डी.आर.में उन्नीसवीं खेप के रखे हुए खोखलों का कोई परीक्षण नही होने से (जुलाई 2012) में ओ.एफ.सी का (₹ 2.78 करोड़) के इन खोखलों के अनुचित भण्डारण के फलस्वरूप जंग लगने से लौटा दिया। इसके बाद (जून 2012) में महानिदेशलाय गुणवत्ता आश्वासन ने ओ.एफ.बी/ ओ.एफ.सी. को डिजाईन की क्षमता के मूल्यांकन के लिए 100 शैल बोडिज को नयी खेप के उत्पादन का निर्देश दिया। तथापि यह तक प्रतिक्षित था। (अक्तूबर 2013)

परिणामस्वरूप, ओ.एफ.सी. से प्रमाणित पारित खोखले उपलब्ध न होने के कारण जून 2009 में ओ.एफ.डी.आर. ने कोई भी भरा हुआ गोला बारूद सेना को निर्गमित नहीं किया। परिणामस्वरूप, तीन आयुध[41] फैक्ट्रियों में ₹ 10.28 करोड़ मूल्य का भंडार अवरोधित रहा।

जुलाई 2013 में त्रुटिपूर्ण खोखलों पर हमारी लेखापरीक्षा टिप्पणी के प्रत्युत्तर में सी.क्यू.ए./ए ने अक्तूबर 2013 में कहा कि चूंकि पायलट खेप एवं 18 अन्य खेपों में कोई त्रुटि न दिखाई दी, यह अनुसूची जाँच प्रतिबन्धों के अनुसार कार्यवाही की गई थी जो कार्य दल द्वारा ग्रहण की थी एवं ओ.एफ.सी. द्वारा प्रतिवेदित खोखलों का उन्नीसवाँ खेप की त्रुटि दोषपूर्ण उत्पादन के कारण उजागर हुई। सी.क्यू.ए./ ए ने इसके अतिरिक्त यह कहा कि ओ.एफ.डी.आर. में अनुचित भण्डारण से 966 खोखलों से निर्मित उन्नीसवाँ खेप में जंग लग गया।

सितम्बर 2013 में ओ.एफ.बी. ने कहा कि ओ.एफ.सी. से उत्पादित खोखले पहले चौदह खेपे का चार्ज-9 के साथ 270 एम.पी.ए. से 314 एम.पी.ए दाब महसूस के लिए फायर प्रूफ हो चुका था जबकि अप्रैल 2007 में सी.क्यू.ए./ ए ने दाब में संशोधन के फलस्वरूप प्रूफ फायरिंग के लिए पन्द्रहवीं खेप 397 ± 8 एम.पी.ए पर संचालन किया (जो 345 एम.पी.ए. के सेवा दाब से 15 प्रतिशत अधिक था) । ओ.एफ.बी. ने इसके अतिरिक्त कहा कि यहाँ पर सोलहवीं खेप से अठारहवीं खेप के उच्चतर दाब पर प्रमाण में पारित हुए थे। ओ.एफ.बी ने इसके अतिरिक्त कहा कि ओ.एफ.सी. से 100 शेल का नयी उत्पादित खेप वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापना (शस्त्र) कानपुर से प्रेषण की अनुसूची की अनुमानित तिथि की प्रतिक्षा के कारण से डिजाईन के क्षमता के लिए अभी प्रमाणित होना था।

तथापि ओ.एफ.बी. का उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि आयुध फैक्ट्रियों के प्रतिनिधियों एवं डी.जी.क्यू.ए से गठित कार्य दल ने प्रमाण कार्यप्रणाली को अन्तिम रूप दिया (मई 1999) बशर्ते कि 397 ± 8 एम.पी.ए. के दाब महसूस को चार्ज-9 वृद्धि पर खोखले एवं सोलहवीं खेप एवं अठारहवीं खेप के अधीन खोखले उत्पादित ओ.एफ.सी. ने यहाँ तक कि 397 ± 8 एम.पी.ए. के दाब महसूस को चार्ज-9 वृद्धि के प्रमाण पर भी पारित करने का निर्णय लिया था।

[41] आयुध निर्माणी कानपुर, आयुध निर्माणी देहू रोड़, एवं मशीन टूल प्रोटोटाईप फैक्ट्री अम्बरनाथ

तथापि तथ्य यह है कि उत्पादन एवं गुणवत्ता आश्वासन अभिकरणों के जनवरी 2008 से ₹ 2.78 करोड़ के खोखलों का एक खेप की नामन्जूरी से सम्बन्धित मामले के समाधान में विफलता के कारण ₹ 10.28 करोड़ मूल्य की वस्तु-सूची का अवरोधन हुआ। इसके अतिरिक्त ओ.एफ.डी.आर. में अनुचित भण्डारण से भी खोखलों की प्रमाणिता के डिजाईन की क्षमता में विलम्ब से ₹ 2.78 करोड़ मूल्य के खोखलों के शैलों में जंग लगने का कारण हुआ।

मामला जुलाई 2013 में रक्षा मंत्रालय भेजा गया, उनका उत्तर नवम्बर 2013 तक प्रतिक्षित था।

6.6 7.62 मि.मी. के पीतल के कपों एवं गोला बारूद में अपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण के परिणामस्वरूप हुए अस्वीकरण के कारण ₹ 7.42 करोड़ का नुकसान

आयुध फैक्ट्री कटनी ने अपूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण के फलस्वरूप दोषयुक्त, 7.62 मि.मी. के पीतल के कपों को आयुध फैक्ट्री वारांगांव को जारी किया जिसने इन कपों को गोला बारूद के उत्पादन के लिए उपयोग किया जिसके परिणामस्वरूप पीतल के कपों एवं गोला बारूद के अस्वीकरण के कारण ₹ 7.42 करोड़ का नुकसान हुआ।

आयुध फैक्ट्री (ओ.एफ) का गुणवता नियंत्रण (क्यु.सी) अनुभाग निर्माण प्रक्रिया के दौरान होने वाले स्टेज/ इंटर स्टेज निरीक्षण के लिए उत्तरदायी है। आयुध फैक्ट्री, अम्बरनाथ, (ओ.एफ.ए) द्वारा तैयार किए हुए 7.62 मि.मी. के पीतल के कपों के गुणवत्ता योजना के अनुसार भिन्न उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उसकी 100 प्रतिशत जाँच करना अनिवार्य है। जुलाई 2011 में हुए, रक्षा मंत्रालय (एम.ओ.डी) , महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन (डी.जी.क्यु.ए) एवं आयुध फैक्ट्री बोर्ड (ओ.एफ.बी) के बीच हुई बैठक में यह परिकल्पित किया गया कि 100 प्रतिशत जाँच करवाना एवं गैर अनुरूपता-दोष को समाप्त करने की जिम्मेदारी क्यु.सी. अनुभाग की है। अनुबंधकर्ताओं को उत्पाद जारी करने से पहले उनकी गुणवत्ता का आश्वासन करने की जिम्मेदारी महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन (डी.जी.क्यु.ए) की है। इस तरह ओ.एफ और डी.जी.क्यु.ए संयुक्त तथा अलग-अलग तरीकों से उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

ओ.एफ.ए एवं आयुध फैक्ट्री, कटनी (ओ.के.ए.टी.) दोनों, आयुध फैक्ट्री वारांगांव द्वारा 7.62 मि.मी. के निर्माण के लिए, उपयोग में लाए जाने वाले नॉटो[42] पीतल के कपों का उत्पादन करते हैं। पीतल के कपों, के उत्पादन के दौरान कड़ी गुणवत्ता नियंत्रण यानी 100 प्रतिशत निरीक्षण की आवश्यकता है क्योंकि अगर एक भी राउंड टूट जाए तो, समूचे गोलाबारूद के लॉट को स्वीकार्य गुणवत्ता सतह के आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है। तथापि, दोनों ही फैक्ट्रियाँ नमूना विधि के आधार पर क्यु. सी निरीक्षण करती हैं।

2009-10 से 2012-13 के दौरान ओ.के.ए.टी. ने क्यु.ए.इ (एम)[43] कटनी द्वारा निरीक्षित और पारित 191.72 एम.टी. पीतल के कपों की आपूर्ति ओ.एफ.वी. को की। हमने लेखा निरीक्षण (नवम्बर 2011) के दौरान यह अवलोकन किया कि नवम्बर 2009 से ओ.के.ए.टी द्वारा ओ.एफ.बी. को आपूर्तीत कप निर्माण दोषयुक्त[44] थे। वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापना

[42] नार्थ एटलांटिक ट्रीटी आरगेनाइजेशन

[43] ओ.एफ.बी को जारी करने से पहले डी.जी.क्यू.ए के अधिकार में आने वाले गुणवत्ता आश्वासन स्थापना (मेटल) जो कि पीतल के कपों के गुणवत्ता आश्वासन के लिए उत्तरदायी है

[44] कपों के उभार पर गहरे खरोंच एवं कटने के निशान, कपों की असम्मित आकृत्ति, कपों पर कटने के निशान, परतों वाला उभार, छोटी उंचाई/ लम्बाई.

(गोलाबारूद) वारांगाओं (एस.क्यू.ए.इ)[45] द्वारा ओ.एफ.वी. निर्माणित इन कपों का उपयोग करके उत्पादन किए गए 2010 के गोलाबारूद के एक लॉट के दोहरे पुनः परीक्षण में एक टूट के साथ 5 विखंडन पाए गए। ओ.के.ए.टी. दल ने ओ.एफ.वी. की शिकायत सुनने के दौरान संयुक्त बैठक में यह स्वीकार किया (सितम्बर 2010) कि कपों में दोष खराब कारीगरी के साथ धातुकर्मीय दोष के कारण भी थे। तथापि, दलों ने ओ.एफ.बी. को भविष्य में दोषयुक्त कपों की आपूर्ति नही करने का आश्वासन दिया।

ओ.एफ.बी. ने (अक्तूबर 2010) में 7.62 मि.मी. के पीतल के कपों के निर्माण के लिए, महा प्रबन्धक ओ.एफ.ए की सभापतित्व में, ओ.के.ए.टी. में प्रक्रिया लेखापरीक्षा के लिए एक दल का गठन किया। इस दल ने ओ.के.ए.टी. के गुणवत्ता नियंत्रण तथा उत्पादन में गहरे विसामान्यताओं एवं दोषों को पाया। अक्तूबर 2010 में दल ने ओ.के.ए.टी. में कार्यान्वयन के लिए 4 मुख्य उपचारी उपायों[46] की सिफारिश की।

हमने उत्पादन रिकार्डों की संवीक्षा के दौरान पाया (नवम्बर 2011) कि ओ.के.ए.टी. ने गुणवत्ता समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए न तो प्रक्रिया लेखापरीक्षा दल द्वारा सिफारिशी, प्रत्यक्ष पढ़ने वाले स्पेक्टोमीटर ना ही हार्डनेस टेस्टर को स्थापित किया था। इसके बजाय उन्होंने वही विषमतायुक्त 9.69 एम.टी. पीतल के कपों को ओ.एफ.वी. को जारी कर दिया, जिसमें से ₹ 23.93 लाख की लागत वाले 6 एम.टी कप उनके उभार की मोटाई कम होने के कारण से ओ.एफ.वी. द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए। ओ.एफ.वी. द्वारा किए गए धातुविज्ञान जाँच (अप्रैल 2011) में इन दोषों को निर्दिष्ट सीमा से बढ़कर कठोर होने, भारी आक्साइड की उपस्थिति एवं प्रेस औजारों पर धातु चिपकने के कारण बताया। बाद में, ओ.के.ए.टी. द्वारा उत्पादित ₹ 97.35 लाख की लागत वाले 15 एम.टी कप को क्यु.ए.इ (एम) कतनी द्वारा, ए.क्यू.एल पर फिर खरा न उतरने के कारण एक बार फिर अस्वीकृत कर दिया गया (सितम्बर 2011) । तथापि, ओ.के.ए.टी. ने क्यु.ए.इ (एम) की सहमति के बिना उन 15 एम.टी कप को निजी जोखिम पर ओ.एफ.वी. को प्रेषित कर दिया (सितम्बर/ अक्तूबर 2011)। ओ.एफ.बी. ने एक बार फिर पूरी प्रेषण को अस्वीकार कर दिया एवं ओ.के.ए.टी. को जून 2013 में 1.50 एम.टी कपों को परीक्षण में उपभोग करने के बाद 13.50 एम.टी कपों को लौटा दिया।

आगे हमने देखा (नवम्बर 2011) कि ओ.एफ.बी. द्वारा 2011 में उत्पादित ₹ 6.20 करोड की लागत वाले, दोषयुक्त कपों वाले (ओ.के.ए.टी.द्वारा दिसम्बर 2010 और मई 2011 के बीच में आपूर्तित) 22.50 लाख 7.62 मि.मी. गोलाबारूद[47] प्रूफ परीक्षण में असफल होने एवं पूरी तरह टूट जाने के कारण फरवरी और जुलाई 2011 के बीच अस्वीकृत कर दिए गए। कारणों के जाँच के लिए ओ.एफ.बी. द्वारा गठित (मई 2012) बोर्ड आफ इन्क्वाइरी (बी.ओ.ई) ने इस असफलता के लिए खराब/ दोषयुक्त पीतल के कपों को उत्तरदायी (जून 2012) ठहराया जिनमें संसाधन के दौरान पतली दरारें पड़ने की एवं गोलाबारी के दौरान टूट जाने की संभावना थी। ₹ 6.20 करोड़ की लागत वाले, अस्वीकृत गोलाबारूद का क्षति विवरण अक्तूबर 2013 तक तैयारी/ निर्णायक चरण में था।

---

[45] डी.जी.क्यु.ए के अधिकार में आने वाले एस.क्यू.ए.इ आपूर्तीकर्ताओं को जारी करने से पहले गोलावारूद के गुणवत्ता आश्वासन के लिए उत्तरदायी है

[46] i) लगातार कास्ट कायल बनाने वाली प्रक्रिया से हुइ मिलिंग स्वार्फ को उपयोग न करना, ii) गलन तापमान को नियंत्रण में रखना एवं आवश्यकता अनुसार भट्ठी तापमान को रोकना iii) पढने वाले स्पेक्टोमीटर की स्थापनाः iv) कप प्रोसेसिंग के दौरान हर सत्र पर हार्डनेस टेस्टर का उपयोग

[47] ओ.एफ.भी लाट सं0 4/11,24/11 एवं 31/11

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, ओ.एफ.बी. ने (अक्तूबर 2013) जारी हुए लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्रतिक्रिया (जून 2013) में कहा कि दोषयुक्त कप लॉटों में हमेशा उपलब्ध रहेंगे, परिणामस्वरूप गुणवत्ता नियंत्रण में निहित कमी के कारण गोलाबारूद असफल हो सकता है। ओ.एफ.बी. ने आगे यह भी कहा कि, दोषों को 100 प्रतिशत जाँच के द्वारा मुक्त करने के लिए बड़ी मात्रा में मशीनी एवं श्रमशक्ति की लागत लगेगी।

ओ.एफ.बी. का उत्तर अपने आप में अपूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण के कारण हुए दोषयुक्त पीतल के कपों के उत्पादन को इंगित करता है। यह उत्तर इस बात पर भी मौन है कि, प्रक्रिया लेखापरीक्षा दल द्वारा सिफारिशों के गैर कार्यान्यवन के बावजूद क्यों पीतल के कपों के उत्पादन को जारी रखा गया। आगे, आवश्यकता के अनुसार, अनुबंधकर्ताओं को जारी करने से पहले उसकी 100 प्रतिशत जाँच करना एवं गैर अनुकूलता को समाप्त करना अनिवार्य है।

इस प्रकार, गुणवत्ता नियंत्रण जाँच का अभाव होने के कारण दोषयुक्त पीतल के कपों का उत्पादन हुआ, एवं अस्वीकृत गोलाबारूद और कपों से ₹ 7.42 करोड़ का नुकसान हुआ। भविष्य में आपूर्ति के लिए इस तरह के दोषयुक्त पीतल के कपों का प्रेषण नहीं हो इसके लिए कोई जवाबदेही तंत्र का निर्माण भी नहीं किया गया है।

मामला मंत्रालय में जून 2013 को प्रेषित किया गया, जिसका उत्तर नवम्बर 2013 तक प्रतीक्षित था।

6.7 पायलट नमूनों की अनुमति से पहले अधिकांश उत्पादन के कारण भंडार का अवरोधन

पायलट खेपों के परीक्षण की निष्पादन के फलीभूत होने से पहले आयुध फैक्ट्री कानपुर द्वारा एक गोला बारूद के खोखलों की अधिकांश उत्पादन के फलस्वरूप ₹ 2.13 करोड़ की भंडार का अवरोधन।

आयुध फैक्ट्री बोर्ड के क्रियाविधि नियमावली (ओ.पी.एम.) में अनुबन्धित है कि एक नये मद की अधिकांश उत्पादन सामान्यतःतबतक प्रारम्भ नही करनी चाहिए जबतक उपयुक्त आकार का एक पायलट जत्था निरीक्षण द्वारा पारित न हो जाए ताकि दोषपूर्ण सामग्री या दोषपूर्ण तकनीक के कारण बडी मात्रा में निरीक्षण में नामन्जूरी के कारण होने वाली हानि से बचा जा सके।

आयुध फैक्ट्री (बोर्ड ओ.एफ.बी.) ने (अगस्त 2008) आयुध फैक्ट्री कानपुर (ओ.एफ.सी.) को 84 मि.मी. टारगेट प्रैक्टिस टरेसर गोला बारूद के खोखला काय (खोखले) का उत्पादन एवं आयुध फैक्ट्री खामरिया (ओ.एफ.के) को निर्गमित का कार्य इस उददेश्य से सौपा दिया गया कि गन एवं शैल फैक्ट्री कोसीपोर और आयुध फैक्ट्री अम्बाझारी की उत्पादन क्षमता को बढाकर गोला बारूद की बड़े भार का सामना किया जा सके।

तदनुसार, ओ.एफ.सी. को ओ.एफ.के से (फरवरी/मार्च 2010) आदिप्रारूप की फलीभूत स्थापना, वैधीकरण प्रक्रिया के उपरान्त पायलट जत्था का उत्पादन और क्रमश धातुकर्मीय रूप के लिए नियन्त्रक गुणवत्ता आश्वासन (गोला बारूद) किरकी (सी.क्यू.ए./ए) और नियन्त्रक गुणवत्ता आश्वासन(धातु) ईसापुर द्वारा प्रमाणित नमूने एवं परीक्षण के प्रकार की अनुमति के फलीभूत सिद्व करने पर 17500 खोखले की आपूर्ति करने के लिए एक अन्तर फैक्ट्री माँग

प्राप्त हुई । पायलट जत्था को फलीभूत सिद्व होने के उपरान्त सी.क्यू.ए/ए. से बाद में बड़ी मात्रा में उत्पादन की अनुमति प्राप्त करनी थी।

हमने (नवम्बर 2011/अप्रैल 2012) देखा कि दिसम्बर 2010 एवं अप्रैल 2012 के बीच हुई पांच अवसरों में सुसंगति परीक्षणों के दौरान 125 खोखले के निर्यामक जत्था के नामन्जूर होने के बावजूद विनिर्दिष्ट मानक से उंची होरोजोन्टल स्टैण्डर डेविएशन वरटीकल स्टैण्डर डेविऐशन मीन पाईन्ट आफ ईम्पैक्ट के अभिलेखन के कारण, ओ.एफ.सी ने सितम्बर 2010 एवं दिसम्बर 2010 में जारी दो अधिपत्रों के विरूद्व 10366 खोखले की कुल लागत ₹ 0.83 करोड़ के उत्पादन को कार्यान्वित करने को कहा । हमने लेखापरीक्षा की जाँच में भी देखा कि खोखले की बडी मात्रा में उत्पादन से पहले सी क्यू ए से बडी मात्रा उत्पादन की अनुमति भी नही ली थी।

बडी मात्रा में उत्पादन का औचित्य ठहराते हुए ओ.एफ.बी ने (दिसम्बर 2012) कहा कि जी.एस.एफ में पहले ही स्थापित खोखलों की प्रक्रिया के सम्पूर्ण अघ्ययन के उपरान्त ओ.एफ.सी. की सोप फलोर टेकनीकल टीम ने मूल्यांकन किया कि अवयवों के पूर्णतया टूल रूम के तकनीकी विशेषज्ञ राय से इन-हाऊस उत्पादन लेने के लिए सम्पूर्ण आधारभूत संरचना विद्यमान थी। इसके आगे, सोप फलोर के विश्वास के आधार पर ओ.एफ.सी. ने बडी मात्रा में उत्पादन एवं आदिप्रारूप फलीभूत परिवर्धन के उपरान्त सामान जोडना जो विधिवत विवेचित परीक्षण से स्पष्ट हुआ, यद्यापि उचित बड़ी मात्रा में उत्पादन की अनुमति सी.क्यू.ए./ए में प्रतीक्षित थी, को स्वीकृति से पायलट खेप का उत्पादन प्रारम्भ करने का निर्णय लिया।

इसके आगे गुणवत्ता आश्वासन द्वारा पायलट खेप की स्वीकृति पर लेखापरीक्षा मई 2013 के प्रश्न पर ओ.एफ.बी ने कहा अक्तूबर 2013 कि पायलट खेप सभी तीनों मापदण्डों मीन पोईन्ट आफ इम्पैक्ट, होरोजोन्टल स्टैण्डर डेविऐशन और वरटीकल स्टैण्डर डेविऐशन पृथक-पृथक से पास नही हुआ था। इसके आगे कहा कि ओ.एफ.सी ने सी.क्यू.ए./ए से 160 खोखले के नये पायलट खेप के उत्पादन की और बड़ी मात्रा में उत्पादन की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त उपलब्ध भंडार को बड़ी मात्रा में उत्पादन में प्रयोग करने की अनुमति प्राप्त की थी।

ओ.एफ.बी का उत्तर स्वीकार्य नही है क्योकि पहले उनके पायलट जत्थों की निष्पादन प्राप्त हुई और ओ.एफ.बी के वर्तमान दिशानिर्देश खोखले की बड़ी मात्रा में उत्पादन के विपरीत थे। इसके आगे क्या पायलट खेप ने पृथक पृथक तीनो मापदण्डों की विनिर्दिष्ट सीमा को प्राप्त किया जैसा कि ओ.एफ.बी ने दावा किया के दिसम्बर 2010 एवं अप्रैल 2012 में संचालन के कोई प्रमाण नही है। ओ.एफ.बी को ₹0.83 करोड के खोखले की बड़ी मात्रा मे उत्पादन जो अक्तूबर 2013 तक भरने की प्रक्रिया से लाभदायक प्रयोग से भी भंडार के समापन के लिए सामान को जोड़ने से निकाल लेने की गतिविधियों से किसी भी उपाय से अपने दायित्व से छुटकारा नही हो सकता।

इस प्रकार, ओ.पी.एम. के सकल उल्लंघन करके ओ.एफ.बी ने बड़ी मात्रा में 10366 खोखले के उत्पादन प्रमाणिक्ता पायलट जत्था के फलीभूत अनुमति के बिना ₹ 0.83 करोड़ मूल्य के खोखले एवं ₹ 1.30 करोड़ मूल्य की सम्पति सूची संचित की।

मामला मई 2013 में रक्षा मंत्रालय को भेजा गया उनका उत्तर प्रतिक्षित था। (नवम्बर 2013)

विविध

6.8 लेखापरीक्षा के संकेत पर वसूलियाँ

लेखापरीक्षा के संकेत पर 18 आयुध फैक्ट्रियों एवं महानिदेशालय गुणवत्ता आश्वासन नई दिल्ली के तीन निरीक्षणालयों ने ₹ 2.09 करोड़ वसूल किए।

लेखापरीक्षा (मई 2011 से फरवरी 2012) के दौरान हमने अनियमित भुगतान, प्रभार आदि की कम/ गैर वसूली के मामले देखे। लेखापरीक्षा की टिप्पणियों पर कार्यवाही करते हुए 18 आयुध फैक्ट्रियों एवं महानिदेशालय गुणवत्ता आश्वासन नई दिल्ली के तीन निरीक्षणालयों ने सुधारात्मक कार्यवाही करते हुए लाईसेंस शुल्क/ बिजली प्रभार/ इन्धन समायोजन प्रभार/ क्षतिग्रस्त कारतूसों के डिब्बे की लागत, मोटर साईकिल/ मोपेड अग्रिम/ बाल शिक्षा भत्ता/ वेतन एवं भत्तों की ₹2.09 करोड़ की वसूली की।

यह मामला जुलाई 2013 में रक्षा मंत्रालय भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2013)।

नई दिल्ली
दिनाँक: 20 दिसम्बर 2013

(वेंकटेश मोहन)
महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएँ

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनाँक: 23 दिसम्बर 2013

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक